19 जून, 2018 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 83वीं बैठक का कार्यवृत्त

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की तियासिवीं (83वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 19 जून, 2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 83.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (8 प्रस्ताव)

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) (क) पनोली औद्यागिक संपदा, जिला भरूच, गुजरात में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 जून, 2018 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एचबीएस फार्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 16 जून, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ख) मैसर्स एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ने सभी प्रकार के टायर, ट्यूब, फ्लैप, रबर के ट्रैक (प्रबलित या अन्यथा), ओ रिंग तथा इसकी संबद्ध असेसरीज जैसे कि रिम, ह्वील, वाल्व, के व्यक्तिगत रूप में या सेट / असेंबली में या सबसेट / सब असेंबली में या इनके किसी संयोजन में विनिर्माण एवं व्यापार की अनुमति प्रदान करने के लिए आफ रोड (ओटीआर) वाहन सहित सभी प्रकार के वाहनों तथा सामग्री हैंडलिंग उपकरणों के लिए रबर और / या मेटल कंपोनेंट जैसे कि कनवेयर बेल्ट आदि के लिए अधिसूचित एसईजेड के सेक्टर को 'फर्मास्युटिकल' से बदलकर 'परिवहन - आटोमोबाइल एवं इंजीनियरिंग माल' करने का अनुरोध किया है।

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड के पत्र दिनांक 8 जून 2018 को नोट किया जिसमें सूचित किया गया है कि विकासक ने प्रस्तावित क्षेत्र से 'परिवहन' शब्द को हटाने का निर्णय लिया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर को फर्मास्युटिकल से बदलकर 'आटोमोबाइल, आटोमोबाइल एंसिलरी तथा इंजीनियरिंग' करने के लिए मैसर्स एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(ii) विश्वनाथपुरम, होसुर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 08 मई, 2018 के बाद एक साल के लिए (7 मई, 2019 तक) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) वड़ापलांजी, मदुरै, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 08 मई, 2018 के बाद एक साल के लिए (7 मई, 2019 तक) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) गंगैकोंडम, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 08 मई, 2018 के बाद एक साल के लिए (7 मई, 2019 तक) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) अंडूरकोणम गांव, त्रिवेंद्रम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 मई, 2018 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क केरल का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 मई, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) पल्लीपुरम और विलूर गांव, त्रिवेंद्रम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 मई, 2018 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क केरल का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 मई, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vii) कट्टिजेनहल्ली एवं वेंकटाला गांव, येलाहांका होबली, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2018 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जीओसीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 17 जून, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(viii) राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, फेज 2, हिंजेवाड़ी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2018 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएलएफ इंफो पार्क (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 26 जून, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 83.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (7 प्रस्ताव)

(i) 13 फरवरी, 2019 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एपीपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 फरवरी, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) तीसरे साल के बाद 09 मार्च, 2019 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कैमलिन फाइन साइंसेज लिमिटेड जो प्लाट नंबर जेड/96/डी, दाहेज एसईजेड लिमिटेड, भाग 2, ग्राम लुवारा, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 9 मार्च, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) 22 अप्रैल, 2018 के बाद 30 सितंबर, 2018 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड (यूनिट 4) जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 सितंबर, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड को यूनिट के पास उपलब्ध के लगभग दो तिहाई का उपयोग न करने के लिए यूनिट को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निदेश दिया।

(iv) 25 जून, 2019 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ब्रीमेल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो पाडुबिद्री, उडुपी में मैसर्स ऐस्पेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जून, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) दो साल की अगली अवधि के लिए अर्थात 10 जून, 2019 तक मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गैस्टन एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम कलवारा, जयपुर में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड के बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 10 जून, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) 17 अप्रैल 2018 के बाद मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स धूत ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड जो शेंद्रे, 5 स्टार औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रे, एमआईडीसी, औरंगाबाद में मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 17 अप्रैल, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(i) 25 फरवरी 2018 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स वोकहार्ड लिमिटेड जो शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में मैसर्स वोकहार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा फर्मास्युटिकल्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट की (यूनिट 2) है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 24 फरवरी, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 83.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध (3 प्रस्ताव)

(i) संविदा के अनुसार अधिकृत प्रचालनों का संचालन सहित अवसंरचना के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा एसईजेड के विकसित क्षेत्र को पट्टा पर देने के लिए इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क (टेक्नोपार्क) एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स विंटरफेल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन संविदा के अनुसार 10 एकड़ के क्षेत्रफल में अधिकृत प्रचालनों का संचालन सहित अवसंरचना के विकास**,** प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा एसईजेड के विकसित क्षेत्र को पट्टा पर देने के लिए इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क **(**टेक्नोपार्क**)** एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स विंटरफेल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(ii) अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने तथा अन्य प्रचालनों के लिए मैसर्स दिव्यश्री एनएसएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (डीएनआईपीएल) एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स मिडास प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने तथा अन्य प्रचालनों के लिए मैसर्स मिडास प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एमपीपीएल) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iii) 5.2161 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के लिए आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवन तथा संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिटों के स्थान के विकास तथा सभी डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए एमआईडीसी के आईटी / आईटीईएस एसईजेड, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, हिंजेवाड़ी, पुणे में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स सिनर्जी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर पुनर्विचार

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवनों तथा संबद्ध अवसंरचना के निर्माण के लिए मैसर्स सिनर्जी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 83.4 : एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव (एक प्रस्ताव)

(i) सर्वे नंबर 20/3, ग्राम केसरपल्ली, एनएच 5, गन्नावरम मंडल, विजयवाड़ा में 10.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 20/3, ग्राम केसरपल्ली, एनएच 5, गन्नावरम मंडल, विजयवाड़ा में 10.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 83.5 : विविध मामले (18 प्रस्ताव)

(i) अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए सह विकासक के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स हनीवेल टेक्नोलॉजी सोल्यूसंश लैब प्राइवेट लिमिटेड जो इलैंधैकुलम गांव, मदुरै जिला, तमिलनाडु में एलकॉट के एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए पट्टा सह विकास करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन क्षेत्रफल में 6.75 एकड़ की वृद्धि के लिए मैसर्स हनीवेल टेक्नोलॉजी सोल्यूसंश लैब प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को अधीन मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(ii) मैसर्स एस्पेन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वाघोडिया, जिला वड़ोदरा में इंजीनियरिंग के लिए स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकासक) के परिणामी कंपनी मैसर्स एस्पेन पार्क इनफ्रा वड़ोदरा प्राइवेट लिमिटेड में डिमर्जर के लिए प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iii) मैसर्स एस्पेन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड था) जो एस्पेन इनफ्रा एसईजेड, कोयंबटूर का विकासक है, के एलओए के अंतरण की सिफारिश करने के लिए विकासक से अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iv) कुछ कंपनियों के विलय या समामेलन की योजना के लिए मैसर्स काग्नीजेंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(v) अधिक मूल्य वाली वस्तुओं जैसे कि बुलियन / डायमंड आदि के लिए भंडारण / बी2बी डिस्प्ले एरिया के लिए 1337.5 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के लिए तथा टेक लैबोरेटरी एवं मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, फर्मा / फैशन उद्योग के उत्पादों, अंतर्राष्ट्रीय कला नीलामी / कला निवेश / कला व्यापार / आर्टवर्क स्टोरेज के लिए गिफ्ट बहुसेवा एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में सह विकासक मैसर्स एटीएस सैवी डवलपर्स एलएलपी द्वारा फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग की स्थापना के लिए प्रस्ताव

डीजीईपी, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि सदस्य (सीमा शुल्क), सीबीआईसी ने इच्छा व्यक्त की है कि प्रस्ताव की अग्रेतर जांच के लिए मामले को एक सप्ताह के लिए आस्थगित कर दिया जाए। अनुमोदन बोर्ड ने एक सप्ताह के लिए प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा इच्छा व्यक्त की कि एक सप्ताह के अंदर वाणिज्य विभाग को राजस्व विभाग की टिप्पणियां उपलब्ध कराई जाएं और इसके बाद फाइल पर मामले के बारे में निर्णय लिया जाए।

(vi) मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित स्वामित्व का अंतरण मैसर्स इनडोस्पेस एएस इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड से मैसर्स एएस कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड को करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(vii) दाहेज एसईजेड में 496 मीटर की हाइड्रोजन पाइप लाइन बिछाने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्लाट नंबर जेड / 103 / एच) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

(viii) दाहेज एसईजेड में कुल 1497.80 मीटर लंबी पाइप लाइन में से 10 इंच की बेंजीन/8 इंच की प्रोपिलीन की 105.79 मीटर लंबी पाइप लाइन बिछाने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड जो डीटीए यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

(ix) हजीरा ओएनजीसी (डीटीए) से ओपल एसईजेड यूनिट तक फीड / कच्चे माल (नाफ्था) की पाइप लाइन बिछाने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपल) जो भड़ूच, गुजरात में दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

(x) दाहेज एसईजेड के क्षेत्र में ड्रेनेज पाइप लाइन बिछाने के लिए मैसर्स रामदेव केमिकल इंडस्ट्रीज जो दाहेज एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

(xi) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना के दोहरे प्रयोग के लिए विकासक मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक द्वारा प्राप्त किए गए सभी आयकर / ड्यूटी / राजकोषीय लाभों की वापसी के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(xii) सर्वे नंबर 89 (पी), कोकापेट गांव, गंडीपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में 0.769 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स जीएआर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

(xiii) स्पेक्ट्रा लिंक पिवोट 8744 एंटरप्राइज स्मार्टफोन के आयात के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए मैसर्स एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड जो मैसर्स एलएंडटी एसईजेड, मैसूर, कर्नाटक की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

(xiv) 20000 मीट्रिक टन फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए मैसर्स अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड जो एपीएसईजेड, विसाखापट्टनम की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 20000 मीट्रिक टन फेरो मैग्नीज के आयात के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(xv) एलओपी के नवीकरण के लिए प्लास्टिक के अपशिष्ट एवं स्क्रैप की रिसाइकलिंग का काम करने वाले मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स जो कंडाला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस निदेश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया कि विकास आयुक्त, केएएसईजेड यूनिट का निरीक्षण करेंगे और यूनिट के रिकार्डों तथा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 8 मई 2018 में उल्लिखित समान मामलों की जांच करने के बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(xvi) एलओए में अतिरिक्त उत्पाद को शामिल करने के लिए मैसर्स साउदर्न आनलाइन बायो टेक्नोलॉजी लिमिटेड का अनुरोध

उप विकास आयुक्त, एपीएसईजेड ने सूचित किया कि अनुमोदन समिति में कस्टम के प्रतिनिधियों की यह राय थी कि आईओसी / एचपीसीएल आदि से ऊंची कर दर वाले एचएसडी / एलडीओ का अधिक मात्रा में प्रापण और इसके बाद निर्मित उत्पाद पर कम ड्यूटी का भुगतान करके डीटीए को ब्लेंडेड बायोडीजल की बिक्री से प्रस्ताव व्यवसाय माडल पर सरकारी खजाने को राजस्व की क्षति होगी। यूनिट के एलओए की शेष वैधता अवधि के लिए अनुमानित राजस्व क्षति 270 करोड़ रुपए के रूप में प्रस्तुत की गई। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

(xvii) एसईजेड के 28.33.8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को आंशिक रूप से विमुक्त करने तथा मैसर्स मोटोरोला मोबिलिटी चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड के सह विकासक के दर्जे को लौटाने के लिए श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सिपकॉट) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(xviii) औपचारिक अनुमोदन दिनांक 14 दिसंबर 2017 में शामिल अधिकतम 30 साल की पट्टा अवधि की शर्त में संशोधन के लिए प्लाट नंबर 17/10/ए एवं प्लाट नंबर 28, एमआईडीसी एसईजेड, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स नेक्स्ट्रा डाटा लिमिटेड (सह विकासक) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपने निर्णय को दोहराया कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 83.6 : औपचारिक अनुमोदन का निरसन (एक प्रस्ताव)

औपचारिक अनुमोदन के निरसन के लिए मैसर्स ओएसई इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (प्लाट नंबर 001, **ब्लाक सी, सेक्टर** 67, **नोएडा, उत्तर प्रदेश) का प्रस्ताव**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन / अधिसूचना को निरस्त करने का निर्णय लिया। यह निरसन इस बात के अधीन था कि विकास आयुक्त निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत सेवा कर छूट, यदि कोई हो, सहित कोई कर / शुल्क लाभ प्राप्त नहीं किया है अथवा प्राप्त किए गए ऐसे किसी लाभ को वापस कर दिया है।

मद संख्या 83.7 : औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्रस्ताव (3 प्रस्ताव)

अपर सचिव (एसईजेड) ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि यद्यपि एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 9 (ड.) अनुमोदन बोर्ड को आईडी (आरएंडए) अधिनियम के तहत शामिल मदों के निर्माण के लिए एसईजेड यूनिटों को

औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है परंतु अनुमोदन बोर्ड शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत शामिल मदों के निर्माण के मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं है। सूचित किया गया कि गृह मंत्रालय ने ये शक्तियां सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को प्रत्यायोजित की हैं। अपर सचिव (एसईजेड) ने सूचित किया कि उन्होंने सचिव, डीआईपीपी के साथ मुद्दे पर चर्चा की है तथा निर्णय लिया गया कि एसईजेड यूनिटों द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत शामिल मदों के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है और मंजूरी प्रदान की जा सकती है जिसके बाद सचिव, डीआईपीपी लाइसेंस जारी करने पर विचार करेंगे।

(i) औद्योगिक लाइसेंस के लिए मैसर्स जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो वीएसईजेड के तहत एसईजेड यूनिट है, का आवेदन

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में अपनी एसईजेड यूनिट से एयरोस्पेस, डिफेंस, होमलैंड सिक्योरिटी, माइनिंग तथा रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) रक्षा अनुप्रयोग के लिए उपकरणों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स डेफसिस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड के तहत एसईजेड यूनिट है, का आवेदन

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने आईडी (आरएंडए) अधिनियम के तहत शामिल इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम (इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर), थर्मल सेंसर तथा इनफ्रारेड सेंसर एवं सिमुलेटर के निर्माण एवं निर्यात के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स डेफसिस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड के तहत एसईजेड यूनिट है, के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

ऐसा प्रतीत होता है कि शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत 'पेलोड और पॉड' मद शामिल है इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए 'पेलोड और पॉड' के संबंध में प्रस्ताव को सचिव, डीआईपीपी के पास भेजने का निर्णय लिया।

(iii) रक्षा उत्पादों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो सीएसईजेड के तहत एसईजेड यूनिट है, का आवेदन

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने आईडी (आरएंडए) अधिनियम के तहत शामिल निम्नलिखित मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो सीएसईजेड के तहत एसईजेड यूनिट है, के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

(i) सैन्य प्रणालियों के लिए बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के लिए आर्मर्ड या प्रोटेक्टिव उपकरण;
(ii) विशेष रूप से सैन्य अनुप्रयोग के लिए अभिकल्पित रडार उपकरण, अनुवेदन, नेविगेशन का निर्माण;
(iii) इमेजिंग या काउंटर मेजर के उपकरण अर्थात रिकार्डर तथा इमेज प्रोसेसिंग के उपकरण, इमेज इंटेंसीफायर के उपकरण, इनफ्रारेड या थर्मल इमेजिंग के उपकरण, इमेजिंग रडार सेंसर के उपकरण, काउंटर मेजर या काउंटर मेजर के उपकरण।
(iv) सैन्य अनुप्रयोग के लिए विविध छिपाव - अनुवेदन उपकरण।

शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत निम्नलिखित मदें शामिल हैं, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए इन मदों के संबंध में प्रस्ताव को सचिव, डीआईपीपी के पास भेजने का निर्णय लिया।

(i) लेवल 3 (एनआईजे 0108.01, सितंबर 1985 या तुलनीय राष्ट्रीय मानक या इससे अधिक) का बैलिस्टिक संरक्षण प्रदान करने के लिए ग्राउंड वेहिकल ए और बी सहित टैंक तथा अन्य आर्मर्ड फाइटिंग वेहिकल;

(ii) हथियार - गोलाबारूद - संबद्ध मदें - रक्षा उपकरण के पार्ट्स तथा उनकी असेसरीज;

(iii) सैन्य अनुप्रयोग के लिए डिफेंस एयरक्राफ्ट;

मद संख्या 83.8 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (2 अपीलें)

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, मुरादाबाद एसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 मार्च, 2018 के विरुद्ध एनएसईजेड में यूनिट स्थापित करने का अनुरोध करने वाले मैसर्स क्राफ्ट्स एग्जिम की अपील

अपीलकर्ता को सुनने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील का समर्थन किया।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, एफएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2016 के विरुद्ध मैसर्स आल्पस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अपीलकर्ता को सुनने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील का समर्थन किया।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 83.8 : औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (1 प्रस्ताव)

(i) ग्राम रहाका एवं निमोठ, जिला गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जुलाई, 2018 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (7) के प्रावधानों में ढील प्रदान करते हुए माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 83.9 : सह विकासक के लिए अनुरोध (5 प्रस्ताव)

(i) सर्वे नंबर 285, पुप्पलगुडा गांव, राजेन्द्र नगर जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भवन का विकास एवं निर्माण करने तथा भवन के प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य करने के लिए भी सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स फिनिक्स फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन भवन के विकास एवं निर्माण के लिए तथा भवन में प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य करने के लिए भी मैसर्स फिनेक्स फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(ii) सर्वे नंबर 286 एवं 287, पुप्पलगुडा गांव, राजेन्द्र नगर जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भवन का विकास एवं निर्माण करने तथा भवन के प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य करने के लिए भी सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स फिनिक्स साफ्ट स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन भवन के विकास एवं निर्माण के लिए तथा भवन में प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य करने के लिए भी मैसर्स फिनिक्स साफ्ट स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iii) सर्वे नंबर 286 एवं 287, पुप्पलगुडा गांव, राजेन्द्र नगर जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भवन का विकास एवं निर्माण करने तथा भवन के प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य करने के लिए भी सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स फिनिक्स टेक स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन भवन के विकास एवं निर्माण के लिए तथा भवन में प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य करने के लिए भी मैसर्स फिनिक्स टेक स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iv) सर्वे नंबर 35 पी एवं 36, गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भवन का विकास एवं निर्माण करने तथा भवन के प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य करने के लिए भी सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स फिनिक्स इनफ्रासाफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन भवन के विकास एवं निर्माण के लिए तथा भवन में प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य करने के लिए भी मैसर्स फिनिक्स इनफ्रासाफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(v) सर्वे नंबर 35 पी एवं 36, गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भवन का विकास एवं निर्माण करने तथा भवन के प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य करने के लिए भी सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स फिनिक्स इनफ्रास्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन भवन के विकास एवं निर्माण के लिए तथा भवन में प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य करने के लिए भी मैसर्स फिनिक्स इनफ्रास्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 83.10 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (2 प्रस्ताव)

(i) कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स ब्लैक केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड का सह विकासक है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) कंपनी का नाम बदलकर जीटीवी टेक एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स डाक्टर फ्रेस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम घमरोज, तहसील सोहना, गुड़गांव - सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड का विकासक है, का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

मद संख्या 83.11 : विविध मामले (3 प्रस्ताव)

(i) विकसित करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स पीएलजी इंक्यूबेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर 21, सेक्टर टेकजोन 4, ग्रेटर नोएडा में मैसर्स अर्थ इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड में सह विकासक है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए पट्टा सह विकास करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन क्षेत्रफल में 0.2601 वर्गमीटर (2601 वर्गफीट) की वृद्धि के लिए मैसर्स पीएलजी इंक्यूबेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(ii) प्लाट नंबर 3 ए, 3 बी और सी 3, सेक्टर 126, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अतिरिक्त अधिकृत प्रचालन (सुविधा स्टोर) के अनुमोदन के लिए विकासक मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया क्योंकि कोई एसईजेड गतिविधि शामिल नहीं है।

(iii) ग्राम साईं, पनवेल, महाराष्ट्र में एफटीडबल्यूजेड के अधिसूचित क्षेत्र में अतिरिक्त सेक्टर अर्थात इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर (सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं सहित) के अनुमोदन के लिए मैसर्स अर्शिया लिमिटेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

पूरक एजेंडा 2 पर निर्णय

मद संख्या 83.12 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (1 प्रस्ताव)

(i) ग्राम हिंजेवाड़ी और मान, तालुका मुलशी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 अगस्त, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने तथा विकासक संस्था की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 23 फरवरी 2016 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया था कि यदि 26 अगस्त 2017 तक परियोजना लागू नहीं की जाती है तो एलओए निरस्त कर दिया जाए। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 83.13 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (एक प्रस्ताव)

(i) 1 जनवरी 2018 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडस जीन एक्सप्रेशन लिमिटेड जो जैव प्रौद्योगिकी के लिए मैसर्स इंडस जीन एक्सप्रेशंस लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 1जनवरी, 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

सारणी एजेंडा पर निर्णय

(i) एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने, निदेशकों में परिवर्तन के साथ शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन तथा औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स अमेक्स टेकफैब प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि रक्षा उत्पादन विभाग तथा गृह विभाग की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। डीजीईपी, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि वे एक सप्ताह के अंदर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने की स्थिति में होंगे। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि आवश्यक सिफारिशों की प्राप्ति के बाद प्रस्ताव पर फाइल पर विचार किया जाए।

(ii) एरोनाटिकल रडार के उपकरण तथा इलेक्ट्रानिक वारफेयर स्यूट के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड जो एसईईपीजेड एसईजेड के तहत यूनिट है, का आवेदन

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि गृह मंत्रालय की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। डीजीईपी, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि वे एक सप्ताह के अंदर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने की स्थिति में होंगे। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि आवश्यक सिफारिशों की प्राप्ति के बाद प्रस्ताव पर फाइल पर विचार किया जाए।

****